प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.12.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घर से गैस सिलेन्डर व सबमर्सिबल मोटर चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 29.11.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक को वादी द्वारा लिखित सूचना दी गयी जिसमे आरोपित किया गया कि उसके घर मे दिनांक 26.11.2024 की रात्रि मे अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर से 03 गैस सिलेन्डर, 1 इन्वर्टर, 02 सबमर्सिबल मोटर चोरी कर लिये गये है जो दिनांक 29.11.2024 को रात्रि मे पुनः चोरी करने के लिए आया था, जिसको वादी द्वारा पहचान लिया गया, जिसका नाम राजेश पुत्र किशोरी लाल जो सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद का रहने वाला है । इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की तलाश व माल बरामदगी हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से टीमो का गठन किया गया।

आज दिनांक 01.12.2024 को उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त राजेश पुत्र किशोरी निवासी हाल पता सैन विहार टावर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद व मूल पता मुरसान गेट जागेश्वर थाना कोतवाली हाथरस जिला हाथरस उम्र 20 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चित्रावन सोसायटी के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया, इसके कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 गैस सिलेन्डर , 01 सबमर्सिबल मोटर बरामद हुई। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मै शराब आदि पीने का शौकीन हूं तथा अपना शौक पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी करता हूं। दिनांक 26.11.2024 की रात्रि मे सैन बिहार डूंडाहेडा मे मौका देखकर सुरेन्द्र कुमार के घर से मैने धीरे धीरे करके वहां रखे 3 एलपीजी गैस के तीन सिलेन्डर व 01 इन्वर्टर व वहां रखे 02 सबमर्सिबल के मोटर को चोरी कर लिया तथा नशे की पूर्ति करने के लिए मैने 02 सिलेन्डर 01 इन्वर्टर को चलते फिरते कबाडी को बेच दिये, जो आज मुझसे गैस सिलेन्डर व 01 सबमर्सिबल की मोटर मिला है, यह उसी चोरी का बचा माल है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

राजेश पुत्र किशोरी निवासी हाल पता सैन विहार टावर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद व मूल पता मुरसान गेट जागेश्वर थाना कोतवाली हाथरस जिला हाथरस उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

(1) 01 गैस सिलेन्डर चोरी का
(2) 01 सबमर्सिबल मोटर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी से सम्बन्धि मे 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना जीआरपी अलीगढ पर 01 अवैध अस्लाह से सम्बन्धि तथा थाना कोतवाली हाथरस पर 01 अवैध अस्लाह व 01 नकबजनी से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.11.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त मनोहर कुमार पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी म0नं0 17 ग्राम अफजलपुर निस्तोली थाना टीला मोड गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त गैंगस्टर के अभियोग में दिनांक 18.11.2024 को अभियुक्त नवाब खाँ उर्फ नवाब खान उर्फ गुलशन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी म0न0 126 हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष को तथा दिनांक 26.11.2024 को अभियुक्त मशीर खान उर्फ रवि पुत्र मुकीश खान हाल पता बी 140 गली नं0 3 राजीव नगर मन्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली 93 मूल निवासी गाव मानकपुर थाना उझानी जिला बदांयू, उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त मनोहर कुमार ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों 1. नवाब खाँ उर्फ नवाब खान उर्फ गुलशन पुत्र अब्दुल वहीद निवासी म0न0 126 हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद व 2. मशीर खान उर्फ रवि पुत्र मुकीश खान हाल पता बी 140 गली नं0 3 राजीव नगर मन्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली 93 मूल निवासी गांव मानकपुर थाना उझानी जिला बदांयू के साथ मिलकर एक गैंग बना रखा था। हम सभी लोग मिलकर फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधडी जैसे अपराध कारित करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

मनोहर कुमार पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी म0नं0 17 ग्राम अफजलपुर निस्तोली थाना टीला मोड गाजियाबाद, उम्र 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मनोहर कुमार उपरोक्त पर थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग व थाना टीला मोड पर 01 अभियोग दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से पैर में गोली मारने वाला एक वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 28.10.2024 को थाना टीलामोड़ पर वादी अलतमस पुत्र सलीम कुरैशी द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि मुस्ताक के बेटे सैफ खान, रिजवान, शहजाद, फाजिल व आबिद ने हथियार के साथ मेरे साथ गाली गलौच व मारपीट करने लगे और जान से मारने की नियत से गोली चलाई जोकि मेरे चाचा हाजी नौशाद के पैर लग गई, तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 01.12.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जान से मारने की नियत से पैर में गोली मारने वाला एक वाँछित अभियुक्त सैफ खान पुत्र मुश्ताक निवासी मं0नं0 268 कुरैशियान मस्जिद थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को डिफेन्स कॉलोनी सिकन्दरपुर रोड की तरफ कच्चे रास्ते पर से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में पूर्व में भी 01 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त सैफ खान पुत्र मुश्ताक उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त सैफ खान पुत्र मुश्ताक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 27.10.2024 की रात्रि को अभियुक्त उपरोक्त का झगडा नौशाद निवासी निकट बडी मस्जिद पसौण्डा से हो गया था। जिस पर अभियुक्त ने आवेशित होकर जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो कि नौशाद के पैर में लगी थी। अभियुक्त के साथ इसके अन्य भाई रिजवान, फाजिल, शहजाद व आबिद भी थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सैफ खान पुत्र मुश्ताक निवासी मं0नं0 268 कुरैशियान मस्जिद थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

बरादमगी का विवरण

01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त सैफ खान पुत्र मुश्ताक उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर एससीएसटी एक्ट व चोरी का माल बरामदगी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 600 रुपये बरामद।

दिनांक 07/04/2023 को थाना लोनी पर आवेदक द्वारा नामजद विपिन व सचिन के विरूद्ध प्रार्थना-पत्र दिया गया कि इनके द्वारा मेरी फैक्ट्री से 3,412 जींस (कपडे) चोरी कर लिया गया है। जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभि0 गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। जिसमे थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद से फैक्ट्री से चोरी करने वाला एक अभियुक्त सचिन पुत्र महीपाल सिंह निवासी टीला शहवाजपुर थाना टीला मोड गा0बाद मय चोरी की घटना से संबंधित 600 रुपये के साथ आज दिनांक 01.12.2024 को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि आज से लगभग डेढ वर्ष पहले अपने भाई विपिन के साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्र लोनी से एक फैक्ट्री से 3,412 जींस चोरी की थी जिनको मै और मेरे भाई ने चलते फिरते लोगो को बेच दिया था उसी बेचे गये माल से जो पैसे प्राप्त हुये वे खर्च हो गये, उसी में से 600 रुपये बचे है यही है। मेरे भाई विपिन की दिनांक 06.09.2023 में मृत्यु हो चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

सचिन पुत्र महीपाल सिंह निवासी टीला शहवाजपुर थाना टीला मोड गा0बाद, उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास

थाना लोनी पर चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की घटना से संबंधित 600 रुपये बरामद ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.08.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 22.08.2024 को अभियुक्तों द्वारा वादी व वादी के पुत्र आदि के साथ सरिया और चाकू से मारपीट करना जिससे वादी के पुत्र को गंभीर चोट आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में मेडिकल परीक्षण व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धारा 109/190/191(2)/191(3) बीएनएस की वृद्धि की गई।

तत्पश्चात दिनांक 30.11.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.ललित पुत्र लोकेन्द्र नि0 ज्ञान ज्योति स्कूल के पीछे अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष व 2. अरविन्द पुत्र सुरेश नि0 प्रताप नगर थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब हमारी पुरानी कहासुनी को लेकर हमारा आपस में झगडा हो गया था जिसमें दूसरे पक्ष के ज्यादा चोट आ गई थी ज्यादा चोट को देखकर हम वहां से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता -

1. ललित पुत्र लोकेन्द्र नि0 ज्ञान ज्योति स्कूल के पीछे अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

2. अरविन्द पुत्र सुरेश नि0 प्रताप नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.11.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर सूचना दी गई कि अभि0 भारत द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की बहन उम्र 17 वर्ष के साथ छेडछाड करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया तथा उक्त मुकदमे में पीडिता के मेडिकल परीक्षण एवं धारा 180/183 BNSS की कार्यवाही की गयी तथा धारा 64 बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.12.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर अभियुक्त भारत पुत्र स्व0 सेवाराम नि0 म0न0 7 , गली न0 1 धामा कॉलोनी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष को गोकुलपुरी रोड गौशाला के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मैं व उक्त लडकी एक-दूसरे को पहले से जानते थे कुछ दिन पहले मै उससे मिलने उसके घर गया था और मौका देखकर मैने उसके साथ गलत काम कर दिया तथा घर से निकलते हुए मुझे उसके भाई ने देख लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

भारत पुत्र स्व0 सेवाराम नि0 म0न0 7 , गली न0 1 धामा कॉलोनी राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 01.12.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 04 अभियुक्त 1. राहुल पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी चक्की वाली गली हरवंश नगर घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 2. राजेश पुत्र रामगोपाल निवासी पार्वती

धर्मशाला के पीछे घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष 3. सागर पुत्र राजेन्द्र निवासी घूकना मोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष व 4. सूरज पुत्र राजेन्द्र निवासी घूकना मोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को हिण्डन बैराज के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछता करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि इस गिरोह द्वारा पूर्व में लूट जैसे संगीन अपराध कारित किये गये है। जिसमें इनके द्वारा थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत पैट्रोल पम्प के कर्मचारीयों से 9.56 लाख रु0 की लूट की घटना कारित की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. राहुल पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी चक्की वाली गली हरवंश नगर घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।
2. राजेश पुत्र रामगोपाल निवासी पार्वती धर्मशाला के पीछे घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।
3. सागर पुत्र राजेन्द्र निवासी घूकना मोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।
4. सूरज पुत्र राजेन्द्र निवासी घूकना मोड थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट सम्बन्धी 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सागर पुत्र राजेन्द्र पर थाना नंदग्राम पर बलात्कार सम्बन्धी 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।